न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 32 / 2019 / प्रथम अपील

धनराज सोनी, वार्ड नम्बर 24, कवर केसरा जी के मन्दिर के पास रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राज.) पिन 335524। अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **धनराज सोनी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 12.06.2019 द्वारा उचित मूल्य की दुकान शिवपाल राम घाना (FPC Code 21832), तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से सम्बन्धित 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की के मध्य की निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए :–

   (1) मास्टर कार्ड रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (2) स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (3) निरीक्षण पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (4) केश मीमो की प्रमाणित प्रतिलिपि।
   (5) माहवार आवंटन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।

   साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता तथा आपके विभाग में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा सूचना को संधारित करने वाले वर्तमान क्लर्क का नाम व पता बताएं।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **04.10.2019** द्वारा अवगत करवाया गया है कि बिन्दू संख्या 1 मास्टर कार्ड रजिस्टर उचित मूल्य दुकानदा द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। बिन्दू संख्या 2 से 4 खाद्य विभाग कि दिशा निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकानदार को एक वित्तीय वर्ष के वितरण से सम्बन्धित रिकॉर्ड आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यापार परिसर में सुरक्षित रखने के निर्देश हैं। वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया जाना सम्भव नहीं है। बिन्दू संख्या 5 की सूचना के प्रमाणित 45 पृष्ठ कार्यालय के पत्र दिनांक 16.08.2019 के द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अपने पत्र दिनांक 16.08.2019 से अपीलार्थी को बिन्दूवार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर